# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— उमर दीन खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 136/2021

राजस्थान सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं।

——प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्रपाल पुत्र श्री नवरंगलाल, जाति जाट, निवासी हंसासर, थाना सदर, झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं।
2. विनोद कुमार उर्फ धोलिया पुत्र इन्द्रपाल, जाति जाट, निवासी हंसासर, थाना सदर, झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं।

——अप्रार्थीगण

अभियोग संख्या 119/2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पुलिस थाना सदर, झुंझुनूं मे जप्तशुदा 2165 लीटर डीजल एवं 70 लीटश्र पेट्रोल का धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत निस्तारण बाबत।

——

उपस्थितः—

1. श्री विकास महला, विभागीय प्रतिनिधि —प्रार्थी की ओर से।
4. श्री गुगनसिंह, एडवोकेट —अप्रार्थीगण की ओर से।

## आदेश

दिनांक 21.10.2021

प्रार्थी जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 11.04.2021 को श्री लोकेन्द्र दादरवाल आर0पी0एस0 वृताधिकारी वृत झुंझुनूं द्वारा एक फर्द जप्ती मय आर्टीकल्स के इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 11.04.21 को मन लोकेन्द्र दादरवाल आर.पी.एस. वृताधिकारी वृत झुंझुनूं शहर कस्बा झुंझुनूं में गश्त कर रहा था। इसी दौरान समय करीब 05.10 पी0एम0 पर मन वृताधिकारी को जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि इन्द्रपाल पुत्र श्री नवरंगलाल जाति जाट निवासी हंसासर थाना सदर झुंझुनूं जिला झुंझुनूं एवं उसका लडका विनोद कुमार उर्फ धोलिया हरियाणा से डीजल, पेट्रोल सस्ते भाव में लाकर महंगे भाव में अपने घर में बिक्री करते है। जिसके घर पर अभी तलाशी ली जावे तो भारी मात्रा में डीजल पेट्रोल मिल सकता है। चूंकि मुखबिर की ईतला विश्वसनीय लगती है जिसकी तस्दीक की जानी है तथा तलाशी वारन्ट जारी करने में समय लगने के कारण माल खुर्द बुर्द होने का पूर्ण अंदेशा है। जिस पर पुलिस थाना सदर के टेलीफोन पर बताया गया कि करीब आठ—दस अधिकारी/कर्मचारियों का जाप्ता मन वृताधिकारी को हंसासर स्टैण्ड पर मिले। बाद सूचना मन वृताधिकारी मय सरकारी गाडी चालक श्री कुलदीप कानि. नं. 987 एवं गनमैन श्री कुलदीप कानि. नं. 924 वृत कार्यालय झुंझुनूं शहर मय अनुसंधान बॉक्स, लेपटॉप व प्रिन्टर के रवाना मौजा हंसासर को हुआ। शहर झुंझुनूं से रवाना होकर मन वृताधिकारी हसांसर स्टैण्ड पर समय करीब 05.30 पी0एम0 पर पहुंचा। जहां पर श्री दलीपसिंह स.उ.नि. एवं श्री रमन कुमार कानि. नं. 270 मय प्राईवेट मोटर साईकिल तथा श्री युसुफ अली स. उ.नि. मय श्री विक्रमसिंह एच.सी. नं. 2545, श्री विरेन्द्र कुमार एच.सी. नं. 2568, अनिल कानि. नं. 1331, श्री आशुराम कानि. नं. 1026 मय सरकारी गाडी बोलेरो चालक पुरूषोतम कानि. थाना सदर झुंझुनूं तथा हस्ब तलबिदा श्री प्रदीप कुमार एच.सी. नं. 2508 श्रीमती सुमन महिला कानि. नं. 904, श्रीमती सरोज देवी महिला

(28)

कानि. नं. 1596 मय चेतक गाडी चालक श्री सुधीर कानि. नं. 1092 के उपस्थित मिले। सम्पूर्ण जाप्ता को मुखबीर की ईतला से अवगत करवाया गया। मुखबीर की ईतला की तस्दीक हेतु समय 05.35 पी0एम0 पर श्री दलीपसिंह स.उ.नि. को बोगस ग्राहक बनाकर मन वृताधिकारी द्वारा एक पांच सौ रूपये के नोट नम्बर FC733342 पर लघु हस्ताक्षर किये जाकर पेट्रोल खरीदने बाबत मय मोटर साईकिल के इन्द्रपाल के मकान पर रवाना किया गया। समय 05.55 पी0एम0 श्री दलीपसिंह स.उ.नि. मय मोटर साईकिल के हाजिर आया तथा बताया कि इन्द्रपाल के घर से पांच सौ रूपये का पेट्रोल मोटर साईकिल में भरवा कर लाया हूं। इन्द्रपाल के मकानो के पीछे छोटे बडे ड्रम रखे हुऐ है। जिनमें डीजल एवं पेट्रोल भरा हुआ है। चूंकि इन्द्रपाल के मकानो की तलाशी ली जानी है। जिस बाबत स्वतंत्र मौतबिरान को तलब किया गया तो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र मौतबिर बनने को तैयार नही हुआ। इस पर मन वृताधिकारी मय उपस्थित सम्पूर्ण जाप्ता के समय 06.05 पी0एम0 पर रवाना होकर समय करीब 06.15 पी.एम. पर मकान इन्द्रपाल बाबल पहुंचा। जहां पर दो शख्स मौजूद मिले। जिनमें से एक शख्स पुलिस को देखकर भाग गया। भागने वाले शख्स को श्री विरेन्द्र कुमार एच.सी. नं. 2568 थाना सदर झुंझुनूं द्वारा पहचान कर बताया कि भागने वाले शख्स का नाम विनोद कुमार उर्फ धोलिया पुत्र श्री इन्द्रपाल जाति जाट निवासी हंसासर है। पुलिस जाप्ता द्वारा शख्स विनोद कुमार उर्फ धोलिया को पीछा किया गया। मगर वह भागने में सफल हो गया। मन वृताधिकारी द्वारा मौजूदा शख्स का नाम पता पूछा गया तो घबराई हुई आवाज में शख्स ने अपना नाम इन्द्रपाल पुत्र श्री नवरंगलाल जाति जाट उम्र 55 साल निवासी हंसासर थाना सदर झुंझुनूं जिला झुंझुनूं होना बताया। शख्स इन्द्रपाल को मुखबिर की ईतला से अवगत करवाया गया। हमराह जाप्ता में से श्री दलीपसिंह स.उ.नि. एवं श्री युसुफ अली स.उ.नि. थाना सदर झुंझुनूं को मौतबिर मामूर किऐ जाकर शख्स इन्द्रपाल को हमराह लेकर मकानो के पीछे जाकर चैक किया गया तो मकानो के पीछे चारदीवारी के अन्दर कुल 8 बडे ड्रम, 12 जरीकेन, दो नाप, ड्रमो से तेल निकालने की मशीन मय एक प्लास्टिक की पाईप, दो कीमा प्लास्टिक के रखे हुऐ मिले। शख्स इन्द्रपाल को ड्रमो एवं जरीकेन में क्या होने बाबत पूछा गया तो ड्रमो एवं जरीकेनो में डीजल, पेट्रोल भरा होना बताया गया। शख्स इन्द्रपाल के कब्जे में मिले ड्रमों को चैक किया गया तो 7 बडे. ड्रम नीले रंग के एवं एक बडा ड्रम हरे रंग का है। सभी ड्रम प्लास्टिक के है तथा जिन पर दो–दो ढक्कन लगे हुऐ है। सभी ड्रमो को खोलकर चैक किया गया तो सभी 8 ड्रम डीजल से भरे हुए है। जिनका नाप किया गया तो नीले रंग के 7 बडे ड्रमो में से प्रत्येक ड्रम में 220 लीटर डीजल भरा हुआ मिला तथा एक हरे रंग के ड्रम में मिले डीजल का नाप वहां पर मिले नापयन्त्र से किया गया तो हरे रंग के ड्रम में कुल 200 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। इन्ही ड्रमो के पास में हरे रंग के 10 जरीकेन भरे हुऐ रखे मिले। जिनको खोल कर चैक किए गऐ तो सभी जरीकेन में डीजल भरा हुआ है। सभी 10 जरीकनों के लाल रंग के ढक्कन लगे हुऐ है तथा दोनो तरफ काले रंग के हत्थे लगे हुऐ है। सभी जरीकनो में मिले डीजल का नाप किया गया तो 9 जरीकनो में 45–45 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया तथा एक जरीकेन में मिले डीजल का नाप वहां पर मिले नापयन्त्र से किया गया तो जरीकेन में करीब 20 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया है। इनके पास में दो जरीकेन और रखे हुऐ है। जिनमें से एक जरीकेन का रंग आसमानी है तथा दूसरे जरीकेन का रंग सफेद है। दोनो जेरीकेनों के उपर लाल रंग के ढक्कन लगे हुऐ है एवं दोनो तरफ काले रंग के हत्थे लगे हुए है। दोनों जरीकेनों के ढक्कन खोलकर चैक किया गया तो दोनों जरीकेनों में पेट्रोल भरा हुआ पाया गया। जिस पर आसमानी जैरीकेन का नाप किया गया तो जरीकेन में 40 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है तथा सफेद रंग के जरीकेन का नाप किया गया तो जरीकेन में 30 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है। इस प्रकार शख्स इन्द्रपाल के कब्जे में कुल 2165 लीटर डीजल एवं कुल 70 लीटर पेट्रोल मिला। उक्त डीजल के ड्रमो एवं डीजल पेट्रोल के जरीकेनो के पास ही दो नाप जिनमें से एक नाप 5 लीटर, दूसरा नाप 10 लीटर का है तथा पास में ही एक डीजल, पेट्रोल निकालने की मशीन रखी हुई पाई गयी। जिसके एक प्लास्टिक का पाईप भी लगा हुआ पाया गया। शख्स इन्द्रपाल को इतनी भारी मात्रा में डीजल एवं पेट्रोल तथा उपकरण अपने कब्जे में रखने एवं बिक्री करने बाबत लाईसेंस/अनुज्ञापत्र बाबत पूछा गया तो शख्स इन्द्रपाल ने अपने पास कोई लाईसेन्स/अनुज्ञापत्र नही होना बताया। शख्स इन्द्रपाल द्वारा एवं उसके पुत्र विनोद कुमार उर्फ धोलिय द्वारा बिना लाईसेन्स/अनुज्ञापत्र नही होना बताया। शख्स इन्दपाल द्वारा एवं उसके पुत्र विनोद कुमार उर्फ धोलिया द्वारा बिना लाईसेन्स/अनुज्ञापत्र के इतनी मात्रा में डीजल,

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पेट्रोल तथा उपकरण रखना जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खिलाफ वर्जी में आना पाया जाने पर डीजल से भरे हुए 8 बडे ड्रमों, 10 डीजल से भरे जरीकेनों तथा दो जरीकेन पेट्रोल से भरे हुऐ को कब्जा पुलिस में लिया गया। मुलजिम इन्द्रपाल को गिरफ्तार किऐ जाने का निर्णय लिया जाकर चेक लिस्ट पृथक से मुर्तिब कर शामिल फर्द की गयी। मुलजिम इन्द्रपाल पुत्र श्री नवरंगलाल जाति जाट उम्र 55 साल निवासी हंसासर थाना सदर झुंझुनूं जिला झुंझुनूं को अपने कर्ता जुर्म से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। शख्स इन्द्रपाल की जामा तलाशी के दौरान मन वृताधिकारी द्वारा लघु हस्ताक्षर किया हुआ 500/- रूपये का नोट नम्बर 2FC733342 मिला। जिसको एक खाखी लिफाफा में डालकर सील्ड मोहर किया जाकर सील्ड शुदा लिफाफा पर मार्क "U" अंकित किया गया। नमूना सील फर्द पर अंकित की गयी इत्यादि पर अभियोग संख्या 119/21 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में पंजीबद्व किया जाकर मन गोपालसिंह पु0नि0 थानाधिकारी थाना सदर झुंझुनूं द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया। मुकदमा हाजा में जप्त शुदा 2165 लीटर डीजल ज्वलनशील पदार्थ है तथा 70 लीटर पेट्रोल अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ है। उक्त जप्त शुदा डीजल एवं पेट्रोल के रख रखाव हेतु थाना हाजा पर कोई व्यवस्था नही है। जिसको थाना परिसर में बाहर ही रखना पडता है। जिससे कभी भी बडा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। तथा डीजल, पेट्रोल कम भी होता है। सभी ड्रम प्लास्टिक के है जो बाहर खुले मे धूप में रखे हुये है जिनमें गर्म मौसम में गैस भरने से फटने की पूर्ण आशंका है। जिससे बडा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। जप्त शुदा डीजल के निस्तारण के संबंध में आवेदन पूर्व में श्रीमान के कार्यालय में प्रस्तुत किया हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण में जप्तशुदा डीजल के निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि जप्तशुदा 2165 लीटर डीजल, 70 लीटर पेट्रोल मय 8 बडे ड्रम, 12 जरीकेन, दो नाप, ड्रमो से तेल निकालने की मशीन मय एक प्लास्टिक की पाईप व दो कीमा प्लास्टिक के जप्त किये गये है। जब झुंझुनूं जिले मे पेट्रोल पम्प है एवं पेट्रोल-डीजल के भाव समान है तो दूसरे जिले से डीजल-पेट्रोल लाने का औचित्य नही है। उक्त पेट्रोल व डीजल के थाना रखरखाव की उचित व्यवस्था नही है। पेट्रोल एवं डीजल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है जिसके कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे स्वीकार कर जप्तशुदा पेट्रोल व डीजल निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि जप्तशुदा 2165 लीटर डीजल, 70 लीटर पेट्रोल स्वयं की स्कूल की गाडियों एवं ट्रेक्टर मे डालने के लिए चूरू से लाया था। अप्रार्थी बिकी के उद्देश्य से उक्त पेट्रोल व डीजल नही लाया था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि जिले मे काफी पेट्रोल पम्प है फिर अप्रार्थी ने अपने घर पर 2165 लीटर डीजल, 70 लीटर पेट्रोल क्यों रखा है। डीजल घर पर रखना खतरनाक है। क्योंकि किसी भी तरह की दुर्घटना/आग लगने पर बचाव के कोई उपाय अप्रार्थी के पास नही है। यदि अप्रार्थी को उक्त डीजल बेचान नही करना था तो मौके पर माप क्यों रखे गये थे इसका अप्रार्थी ने बहस मे सन्तोषजनक जबाव नही दिया है। अतः प्रकरण मे निम्न प्रकार आदेश दिये जाते है:-

1. डीजल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये इस डीजल का निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए( 2 )के तहत अधिहरण किया जाना न्यायोचित समझते है।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

2. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा 2165 लीटर डीजल, 70 लीटर पेट्रोल मय 8 बडे ड्रम, 12 जरीकेन, दो नाप, ड्रमो से तेल निकालने की मशीन मय एक प्लास्टिक की पाईप व दो कीमा प्लास्टिक का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत राजसात कर नियंत्रित कीमत पर विक्रय करवाकर राशि को राजकोष में जमा करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.10.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( उमर दीन खान )
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू